

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी
(सामान्य शाखा)

प्रेस विज्ञापन


गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का DONo.V-II 026/133/2018-Arms-Vol-I Date-07-12-2018 एवं गृह विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 158 दिनांक 09.01.2019 के आलोक में जिला-खूँटी सभी अनुज्ञप्तिधारी को **National Data Base** दिनांक 31.03.2019 तक भारत सरकार के Portal पर Online प्रविष्टि Unique Identification Number निर्गत किया जाना है। जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर Unique Identification Number नम्बर दर्ज नहीं कराया है एवं अद्यतन नवीकरण नहीं कराया है, जिसके कारण ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का Unique Identification Number निर्गत नहीं हो पा रहा है, उक्त के National Data Base में Entry नहीं कराने के कारण आपकी शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

ह0/-
उपायुक्त,
खूँटी।

ज्ञापांक.....75(1)/19 दिनांक 08/12/19.....

प्रतिलिपि :- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
खूँटी।


19/02/19